an>

Title: Regarding Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड) : अध्यक्ष महोदया, हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'दिशा' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य केंद्रीय पोषित योजनाओं की जिलास्तर पर समीक्षा का अधिकार सांसदों को सौंपा गया है। इस व्यवस्था से सांसदों को जानकारी मिलेगी और योजना क्रियान्वयन में सुधार होगा। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्राम की पूर्व से तय जनसंख्या के आधार पर और पूर्व निर्धारित कोर नैटवर्क के आधार पर सड़क निर्माण किया जाता है। इस व्यवस्था में सांसदों को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मौके पर यह पाया गया है कि कोर नैटवर्क के आधार पर ग्राम वासियों के लिए असुविधाजनक तथा विपरीत दिशा में पहुंच मार्ग बनाए गए हैं।

कई स्थानों पर एक-दो किलोमीटर के टुकड़े जोड़कर सीधे सड़क मार्ग से ग्रामवासियों को जोड़ा जा सकता है।...(व्यवधान)

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पहुँच मार्गों को विशेष परिस्थितियों में सीधे सड़क से जोड़ने और स्टेट कनेक्टिविटी देने के लिए तथा ग्रामीणों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सांसदों को कोर नेटवर्क में सुधार करने तथा उनके क्षेत्र में स्वीकृत मार्गों की लम्बाई का कम से कम 10 परसेंट अतिरिक्त सड़क निर्माण करने का भी अधिकार दिया जाए।...(व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरो प्रसाद मिश्र,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री शरद त्रिपाठी,

श्री मुकेश राजपूत,

श्री नागेन्द्र सिंह और

श्री आलोक संजर को डॉ. भागीरथ प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।